

I/4096/2021

प्रेषक,  
शिवस्वरूप त्रिपाठी,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
कुलसचिव,  
समस्त निजी विश्वविद्यालय,  
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक 06 दिसम्बर, 2020

**विषय: राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को पुनः भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 2020, जिसके माध्यम से राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को पुनः पठन-पाठन हेतु भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में गाईडलाइन्स जारी की गई है, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त गाईडलाइन्स के दृष्टिगत प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नक: यथोक्त।**

भवदीय,

Digitally signed by SHIV  
SWAROOP TRIPATHI  
Date:Wed Jan 06 16:15:45 IST  
2021  
Reason: Approved

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)  
उप सचिव।

**प्रतिलिपि:**— निजी सचिव— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को पत्र संख्या 1404/XXIV-C-4/2020-01(07)2020, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रेषक

ओम प्रकाश,  
मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तराखण्ड।
2. कुलपति,  
समस्त निजी विश्वविद्यालय,  
उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।
4. निदेशक,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग- 4

विषय- कोविड-19 के कारण प्रभावित पठन-पाठन को ऑफलाईन मोड में पुनः संचालित करने हेतु राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को दिनांक 15.12.2020 से भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कोविड-19 के प्रसार के दृष्टिगत सुरक्षा कारणों से राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में ऑनलाईन मोड में पठन-पाठन कार्य किया जा रहा है। उच्चत शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.16-12/2020-U1(A) (Part.2), दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (प्रति संलग्न) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार के पत्रांक सं०-D.O.14-8/2020(CPP-II) दिनांक 05.11.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा द्वारा राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को पुनः पठन-पाठन हेतु खोले जाने के संदर्भ में गाईडलाईन्स निर्गत की गयी हैं।

2- उक्त के क्रम में सत्र को नियमित करने तथा छात्रहित में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कोविड-19 के कारण प्रभावित पठन-पाठन को ऑफलाईन मोड में पुनः संचालित करने हेतु राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को दिनांक 15.12.2020 से भौतिक रूप से खोले जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

(क) राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को ऑफलाईन पठन-पाठन हेतु खोले जाने पर छात्रों की उपस्थिति के सम्बन्ध में अभिभावकों की सहमति की अनिवार्यता। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अपनी कार्य योजना से अभिभावकों को अवगत कराना, यदि अभिभावक स्वेच्छा से छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय भेजने हेतु सहमत होते हैं, तो अपनी सहमति महाविद्यालय खुलने की तिथि से पूर्व, संचार माध्यमों यथा ई-मेल इत्यादि के माध्यम से अथवा महाविद्यालय खुलने की तिथि को भौतिक रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(ख) प्रथम सेमेस्टर हेतु (स्नातक/स्नातकोत्तर दोनों के लिए) जिन विषयों में Theory एवं Practical दोनों पढ़ाये जाने अनिवार्य हैं, उन्हीं में ही ऑफलाईन कक्षाएं प्रारम्भ की जायेंगी।

(ग) अन्तिम सेमेस्टर की कक्षाएं (जिनमें Practical अनिवार्य है) भी इसी प्रकार से प्रारम्भ होंगी।

(घ) प्रथम सेमेस्टर अथवा अन्तिम सेमेस्टर की उपरोक्त कक्षाओं के संचालन हेतु निम्नानुसार त्रिस्तरीय मानकों में से कम से कम एक (At least one) का अनुपालन आवश्यक होगा:-

(1) कक्षाओं का संचालन पालियों में किया जायेगा।

(2) Sections बढ़ाये जायेंगे।

(3) Alternate Days में कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।

M/As Prashansa  
Pl. Send it to all  
Registrars of Univ.  
Via e-mail  
14/11/20

e-office से संचालित  
Pr

उक्त तीनों मानकों में से संस्थान अपनी सुविधानुसार विकल्पों को चयन कर सकते हैं, विशेष दशाओं में संस्थान द्वारा अपने स्तर से उपरोक्त तीनों मानकों का चयन भी किया जा सकता है।

- (ड) जिन विषय में केवल Theory पढ़ाई जाती है अर्थात् Practical की अनिवार्यता नहीं है, वहाँ ऑनलाईन मोड से ही पठन-पाठन पूर्व की भाँति किया जाता रहेगा। जिन विषयों में Theory एवं Practical दोनों पढ़ाये जाते हैं, उनमें ऑनलाईन के माध्यम से Theory पढ़ाई जायेगी। Practical के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्थान Batches बनाकर Practical कक्षाएं संचालित करेंगे, जिससे कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में निर्गत सुरक्षा मानकों यथा सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। प्रथम एवं अन्तिम सेमेस्टर में सफलता पूर्वक उक्त व्यवस्था करने के उपरान्त भी यदि शैक्षिक संस्थान के पास संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता हो, तो वे उक्त Practical कक्षाओं का संचालन द्वितीय तथा तृतीय सेमेस्टर के लिए भी इसी प्रकार से कर सकते हैं।
- (घ) Practical Subject से सम्बन्धित जो कक्षाएं ऑफलाईन मोड में संचालित नहीं होंगी, वहाँ Virtual lab का प्रयोग किया जायेगा।
- (छ) चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित संस्थानों के सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।
- (ज) राज्य के बाहर से आने वाले छात्रों (छात्रावास में रहने वाले छात्रों सहित) तथा Day Scholars के लिए भी Covid-19 (RT-PCR) टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
- (झ) उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, स्टाफ आदि के कोविड-19 Positive पाये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ञ) शैक्षिक संस्थान द्वारा दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट फेसिलिटी पूर्व की भाँति दी जाती रहेगी, प्रतिबन्ध होगा कि वे इस सम्बन्ध में कोविड-19 से सम्बन्धित गाईडलाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (ट) उक्त समस्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त शिक्षण संस्थानों में पृथक-पृथक नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित करते हुए तत्सम्बन्धी व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा। बड़े जनपदों में दो नोडल अधिकारी भी नामित किये जा सकते हैं।
- (ठ) भौतिक रूप से कक्षायें पुनः प्रारम्भ किये जाने की अनुमति के लिये अपेक्षित तैयारी हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, यू0जी0सी0 तथा राज्य के आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित निर्गत गाईडलाईन्स को मार्ग दर्शक सिद्धान्त के रूप में लागू करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-
- (1) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सैनेटाईज किया जायेगा, यह प्रक्रिया प्रतिदिन नियमित रूप से की जानी होगी।
  - (2) प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर आना होगा।
  - (3) महाविद्यालय भवन के मुख्य द्वार पर ही सैनेटाइजर, हैण्डवाश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी होगी। किसी भी शिक्षक कर्मचारी/विद्यार्थी को खॉसी, जुकाम, बुखार के लक्षण होने पर प्राथमिक उपचार देते हुए वापिस घर भेज दिया जायेगा।
  - (4) महाविद्यालय में प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (5) छात्र/छात्राओं की भीड़ को नियन्त्रित करने के लिये महाविद्यालय में शिक्षण कार्य की समय-सारिणी इस प्रकार बनायी जायेगी, अलग-अलग समय पर विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश करें/छोड़ें।
- (6) छात्र/छात्राओं हेतु कक्षा-कक्षाओं में 06 फिट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी।
- (7) पठन-पाठन ऑनलाईन मोड से यथा सम्भव Continue किया जायेगा अर्थात् online कक्षाओं के संचालन को प्राथमिकता दी जायेगी। विद्यार्थियों से सुझाव लेकर यदि विद्यार्थी मांग करते हैं तो ऑनलाईन शिक्षण की व्यवस्था जारी रखी जायेगी।
- (8) महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई/एन0सी0सी0 यूनिट कोविड-19 के फैलाव और रोकथाम के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जायेगा।
- (9) महाविद्यालयों को पुनः खोले जाने की व्यवस्था का सतत अनुश्रवण और अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा नियमित रूप से शासन को कृत कार्यवाही की प्रगति उपलब्ध कराई जानी होगी। प्रत्येक जनपद हेतु नामित उच्च शिक्षा के नोडल अधिकारी भी जिलाधिकारी से इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश लेते रहेंगे।
- (10) उपरोक्तानुसार महाविद्यालय खोलने सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने वाले महाविद्यालयों के प्राचार्य/शिक्षक/कर्मचारी/छात्र-छात्राओं के विरुद्ध महामारी अधिनियम की संगत धाराओं के अधीन कार्यवाही की जानी होगी।

3- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के सन्दर्भ में समय-समय पर जारी सभी Public Health Awareness से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

4- सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पुनः खोलने से पहले निम्नवत् आवश्यक शर्तों, दिशा-निर्देशों तथा उपायों को सुनिश्चित किया जाए:-

- (क) सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को कन्टेनमेंट जोन के बाहर होने पर ही खोलने की अनुमति दी जाय तथा ऐसे सभी संस्थानों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा छात्रों को विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में प्रवेश न दिया जाय तथा उनसे मिलने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाय।
- (ख) सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग एवं छात्र-छात्राओं को "आरोग्य सेतु" एप को अपने-अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- (ग) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को भौतिक रूप से खोलने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।
  - (1) सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को "कन्टेनमेंट जोन" के बाहर जिला प्रशासन एवं Department of Medical Health & Family Welfare द्वारा जारी SOP/दिशा-निर्देश में श्रेणीबद्ध तरीके से खोले जाए।
  - (2) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय चरणबद्ध रूप में इस प्रकार खोले जाएं कि Social Distancing, Face Mask तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग सुनिश्चित हो सके। शोध कार्यक्रम तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्र संख्या कम होने के कारण उक्त छात्र विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आ सकते हैं। अन्तिम वर्ष के छात्र-छात्रा, अकादमिक प्लेसमेंट कारणों से संस्थान प्रमुख के दिशा-निर्देशों में उपस्थित हो सकते हैं।
  - (3) 50 प्रतिशत से अधिक किसी भी एक समय में या एक स्थान पर उपस्थित नहीं होंगे।
  - (4) संकाय सदस्यों से पूर्व में किये गये अनुरोध पर ही छात्र-छात्राएं परामर्श ले सकते हैं।

- (5) सभी संस्थान भारतीय अथवा विदेशी संस्थागत छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन पठन-पाठन सामग्री (e-resources) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (घ) (1) सुरक्षा उपाय से संबंधित सलाहकारों को समय-समय पर छात्र-छात्राओं को उनके मानसिक, शारीरिक सम्बन्धित विषयों पर चर्चा करनी आवश्यक होगी।  
 (2) संस्थानों को स्वयं या सरकारी अस्पतालों या संस्तुत केन्द्रों से समन्वय कर कोविड-19 से सम्बन्धित रोग सूचक लोगों को सुविधा/व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी।  
 (3) कोविड-19 के दृष्टिगत संस्थानों को बाह्य व्यक्तियों, शैक्षिक, भ्रमण, अथवा मैदानी कार्यों से दूर रहना होगा।  
 (4) पाठ्यक्रम से इतर किसी भी प्रकार की गतिविधियां संस्थान में वर्जित होगी।
- (ङ) प्रत्येक संस्था को कोविड-19 के दृष्टिगत एक सतर्क कार्ययोजना बनाना सुनिश्चित करना होगा।
- (च) सभी विभागों एवं छात्र-छात्राओं को चरणबद्ध रूप में Batches में बुलाया जाय।
- (छ) दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र वर्ग को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाय।
- (ज) किताबों का आदान-प्रदान एवं अन्य पठन-पाठन सामग्री को हतोत्साहित किया जाय।
- (झ) सभी शिक्षक वर्ग, अधिकारी वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग तथा छात्र वर्ग "आई0कार्ड" धारित करेंगे।
- (ञ) आवश्यकता पड़ने पर Teaching hours को बढ़ाया जाय।
- (ट) शिक्षक वर्ग को ऑनलाईन टीचिंग, लर्निंग का अभ्यास कराया जाय।
- (ठ) अत्यन्त आवश्यक होने पर आगुन्तकों का सम्पर्क विवरण एवं संस्थान में मिलने वाले अधिकारी/कर्मचारी का अभिलेख रखा जाय।
- (ड) संस्थानों के सभी प्रवेश द्वार, निकास द्वारों पर कोविड-19 के दृष्टिगत सभी प्रकार के सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन तथा निगरानी करना सुनिश्चित किया जाय।
- (ढ) निम्नानुसार भारत सरकार के द्वारा जारी किये गये लिंक पर दी गई गाइड लाइन्स का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

(1) <https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/Bio-Medical-Waste/BMW-GUIDELINES-COVID 1.pdf>.

(2) <https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesonyogainstitutesandgymnasiums03082020.pdf>.

(3) <https://www.mohfw.gov.in/>

(4) <https://www.youtube.com/watch?v=uHB3WJsLJ8s&feature=youtu.be>

(5) <https://www.mohfw.gov.in/pdf/MindingourmindsduringCoronaeditedat.pdf>

(6) <https://www.youtube.com/watch?v=iuKhtSehp24&feature=youtu.be>

(7) Web page named "Manodarpan" - created on the Ministry of Education website to provide psychological support for mental health & well being,

behavioral health: Psycho-Social toll free helpline - 0804611007

#### 5-संस्थाध्यक्षों की भूमिका:

- (क) सभी कुलपति/प्राचार्यों को कोविड-19 के दृष्टिगत सरकारी निर्देशों एवं आदेशों में दिये गये SOPs का पालन करना।
- (ख) अपने संस्थान हेतु प्रशासनिक एवं अकादमिक एवं परीक्षा स्तर पर एक विस्तृत कार्य योजना बनाना।
- (ग) आस-पास के स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालों, एन0जी0ओ0 एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ कोविड-19 के दृष्टिगत सहायता एवं मदद प्राप्त करना।

(घ) कोविड-19 पैंडेमिक के अन्तर्गत अपने-2 संस्थान में एक टास्क ग्रुप का निर्माण करना, जिसके सदस्य शिक्षक/कर्मचारी/छात्र/समाज सेवक/एन0जी0ओ0/स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अधिकारी होंगे।

6- ऑफलाईन मोड में पठन-पाठन संचालित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, यू0जी0सी0 गाईडलाईन्स एवं राज्य के आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत गाईडलाईन्स की सीमा तक ही ऑफलाईन मोड में पठन-पाठन संचालित किया जा सकता है अर्थात् किसी भी दशा में उपरोक्त गाईडलाईन्स/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

7- राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों को ऑफलाईन मोड में पठन-पाठन हेतु खोले जाने के लिए शिक्षण संस्थान की परिस्थितियों के अनुसार सम्बन्धित प्राचार्य, प्रबन्धन समिति तथा कुलपति अधिकृत किये जाते हैं।

8- उक्तवत् निर्गत की जा रही गाईड-लाइन्स मार्ग दर्शक सिद्धान्त के रूप में है, तथापि यदि कोई संस्थान प्रत्येक सेमेस्टर की समस्त कक्षाओं को online ही संचालित किए जाने का इच्छुक/सक्षम है, तो वे अपने स्तर से इस संबंध में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिए जाने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 1404(1)/XXIV-C-4/2020-01(07)/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा/संस्कृत शिक्षा/गृह विभाग/न्याय विभाग/कृषि एवं कृषि शिक्षा विभाग/उद्यान विभाग/आपदा प्रबन्धन विभाग/चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण/सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
9. अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 एवं 3 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित कुलपति को ई-मेल इत्यादि के माध्यम से अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

803

कृपया आवश्यक  
कार्यवाही हेतु

14/11/20

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)

प्रमुख सचिव।